उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 433314 /सी–4/सा–।।/601/बंदी आदेश/18 दिनांक 5-3-19

पंजीकृत

मैसर्स बांके बिहारी स्टोन इण्डस्ट्रीज,
सरैडा, नगला कमाल, तहसील–खेरागढ़,
आगरा।

मैसर्स बांके बिहारी स्टोन इण्डस्ट्रीज, सरैडा, नगला कमाल, तहसील–खेरागढ़, आगरा द्वारा गैंगसा इकाई (लाल पत्थर काटने की मशीन) द्वारा लाल पत्थर की कटिंग का कार्य करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक–16.02.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई बंद पायी गयी। ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में गैंगसा इकाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित तथा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित की जा रही है। इकाई में एक सबमर्सिबल स्थापित है जिसकी अनुमति सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त नहीं की गयी है। रेड स्टोन कटिंग के दौरान प्रयुक्त जल का परिसर में स्थापित टैंक के विभिन्न चैनलों के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाता है तथा टैंक में एकत्रित स्टोन डस्ट (स्लज) को निकालकर भूमि पर एकत्र किया जाता है। तेज वायु गति के दौरान स्टोन डस्ट का हवा के साथ उड़ना स्वाभाविक है जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जनस्वास्थ्य हेतु उचित नहीं है। बोर्ड के पत्रांक सं0 एच32178/सी–4/सा0–।।–601/का0ब0नो0/2018 दिनांक–01.02.2019 द्वारा उद्योग को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका प्रत्युतर उद्योग द्वारा बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 एफ नं0–बी–300/इम्प्लीमेन्टेशन /आइपीसी–VI/ 2017/155011 दिनांक–28.12.2017 द्वारा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों का संचालन न किये जाने के निर्देश दिये गये है।

निरीक्षण के समय इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा संबंधित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक सं0 1789/ओ.जी.–616 दिनांक–22.02.2019 के माध्यम से उद्योग के विरूद्ध बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः पर्यावरणीय सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जल प्रदूषण के रोकथाम, जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण हित में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत निम्न बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स बांके बिहारी स्टोन इण्डस्ट्रीज, सरैडा, नगला कमाल, तहसील–खेरागढ़, आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई मैसर्स मैसर्स बांके बिहारी स्टोन इण्डस्ट्रीज, सरैडा, नगला कमाल, तहसील–खेरागढ़, आगरा इकाई को मिलने वाली अन्य सुविधाओं विद्युत विच्छेदन, पानी की आपूर्ति, अन्य आदि की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दें।

(डा0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को बंद कराने का कष्ट करें।
2. महाप्रबंधक जल संस्थान, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग की जल आपूर्ति बंद करें।
3. अधीशासी अधिकारी, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, आगरा को इस आशय के साथ कि उद्योग का विद्युत विच्छेदन करने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC-12, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H33313 /सी–4/सा–II/600/बंदी आदेश/18 दिनांक 5-3-19

पंजीकृत

मैसर्स माँ महाकाली स्टोन इण्डस्ट्रीज,
नवाब, बसई रोड, मौजा–डुंगरवाला,
तहसील–खेरागढ़, आगरा ।

मैसर्स माँ महाकाली स्टोन इण्डस्ट्रीज, नवाब, बसई रोड, मौजा–डुंगरवाला, तहसील–खेरागढ़, आगरा द्वारा गैंगसा इकाई (लाल पत्थर काटने की मशीन) द्वारा लाल पत्थर की कटिंग का कार्य करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक–16.02.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई बंद पायी गयी। ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में गैंगसा इकाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित तथा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित की जा रही है। इकाई में एक सबमर्सिबल स्थापित है जिसकी अनुमति सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त नहीं की गयी है। रेड स्टोन कटिंग के दौरान प्रयुक्त जल का परिसर में स्थापित टैंक के विभिन्न चैनलों के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाता है तथा टैंक में एकत्रित स्टोन डस्ट (स्लज) को निकालकर भूमि पर एकत्र किया जाता है। तेज वायु गति के दौरान स्टोन डस्ट का हवा के साथ उड़ना स्वाभाविक है जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जनस्वास्थ्य हेतु उचित नहीं है। इकाई में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 केवीए का डीजी सेट स्थापित किया गया है जिसमें एकझास्ट पाइप मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं है। बोर्ड के पत्रांक सं0 एच32177/सी–4/सा0–II–600/का0ब0नो0/2018 दिनांक–01.02.2019 द्वारा उद्योग को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका प्रत्युतर उद्योग द्वारा बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 एफ नं0–बी–300/इम्प्लीमेन्टेशन /आइपीसी–VI/ 2017/155011 दिनांक–28.12.2017 द्वारा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों का संचालन न किये जाने के निर्देश दिये गये है।

निरीक्षण के समय इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा संबंधित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक सं0 1788/ओजी–616 दिनांक–22.02.2019 के माध्यम से उद्योग के विरूद्ध बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः पर्यावरणीय सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जल प्रदूषण के रोकथाम, जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण हित में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत निम्न बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स माँ महाकाली स्टोन इण्डस्ट्रीज, नवाब, बसई रोड, मौजा–डुंगरवाला, तहसील–खेरागढ़, आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई मैसर्स माँ महाकाली स्टोन इण्डस्ट्रीज, नवाब, बसई रोड, मौजा–डुंगरवाला, तहसील–खेरागढ़, आगरा इकाई को मिलने वाली अन्य सुविधाओं विद्युत विच्छेदन, पानी की आपूर्ति, अन्य आदि की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दें।

5/03

(डा0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को बंद कराने का कष्ट करें।
2. महाप्रबंधक जल संस्थान, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग की जल आपूर्ति बंद करें।
3. अधीशासी अधिकारी, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, आगरा को इस आशय के साथ कि उद्योग का विद्युत विच्छेदन करने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

5/03

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वी. विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 4297177 /सी–4/सा–।।/544/बंदी आदेश/18 दिनांक 15-10-18

पंजीकृत

मैसर्स जी0जी0 स्टोन,
घसकटा रोड, ब्लाक–जगनेर,
तहसील–खेरागढ़, आगरा।

मैसर्स जी0जी0 स्टोन, घसकटा रोड, तोंतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ, आगरा द्वारा गैंगसा इकाई (लाल पत्थर कटाने की मशीन) द्वारा लाल पत्थर की कटिंग का कार्य करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक–20.09.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में गैंगसा इकाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित तथा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित की जा रही है। इकाई में एक सबमर्सिबल स्थापित है जिसकी अनुमति सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त नहीं की गयी है। रेड स्टोन कटिंग के दौरान प्रयुक्त जल का परिसर में स्थापित टैंक के विभिन्न चैनलों के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाता है तथा टैंक में एकत्रित स्टोन डस्ट (स्लज) को निकालकर भूमि पर एकत्र किया जाता है। तेज वायु गति के दौरान स्टोन डस्ट का हवा के साथ उड़ना स्वाभाविक है जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जनस्वास्थ्य हेतु उचित नहीं है। इकाई में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 केवीए का डीजी सेट स्थापित किया गया है जिसमें एकझास्ट पाइप मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 एफ नं0–बी–300/इम्प्लीमेन्टेशन /आइपीसी–VI/ 2017/155011 दिनांक–28.12.2017 द्वारा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों का संचालन न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

निरीक्षण के समय इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा संबंधित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–28.08.2018 का प्रत्युत्तर नही दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्र सं0 956/ओजी/18 दिनांक–22.09.2018 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच25388 /सी–4/सा–।।/544/का0ब0नो0/18 दिनांक–28.08.2018 की पुष्टि करते हुये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स मैसर्स मैसर्स जी0जी0 स्टोन, घसकटा रोड, तोंतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ, आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई मैसर्स जी0जी0 स्टोन, घसकटा रोड, तोंतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा इकाई को मिलने वाली सुविधाओं पानी की आपूर्ति, जिला उद्योग केन्द्र की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये ?

15/10

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।
3. अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, आगरा को इस आशय के साथ कि उद्योग विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।
4. महा प्रबंधक जल संस्थान, आगरा उद्योग की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।

15/10

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 4271/79 /सी–4/सा–।।/543/बंदी आदेश/18 दिनांक 15-10-18
पंजीकृत

मैसर्स सिद्ध विनायक स्टोन गैंगसा,
घसकटा रोड, ब्लाक–जगनेर,
तहसील–खेरागढ़, आगरा।

मैसर्स सिद्ध विनायक स्टोन गैंगसा, तॉतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा द्वारा गैंगसा इकाई (लाल पत्थर कटाने की मशीन) द्वारा लाल पत्थर की कटिंग का कार्य करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक– 20.09.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में गैंगसा इकाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित तथा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित की जा रही है। इकाई में एक सबमर्सिबल स्थापित है जिसकी अनुमति सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त नहीं की गयी है। रेड स्टोन कटिंग के दौरान प्रयुक्त जल का परिसर में स्थापित टैंक के विभिन्न चैनलों के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाता है तथा टैंक में एकत्रित स्टोन डस्ट (स्लज) को निकालकर भूमि पर एकत्र किया जाता है। तेज वायु गति के दौरान स्टोन डस्ट का हवा के साथ उड़ना स्वाभाविक है जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जनस्वास्थ्य हेतु उचित नहीं है। इकाई में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 केवीए का डीजी सेट स्थापित किया गया है जिसमें एकझास्ट पाइप मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 एफ नं0–बी–300/इम्प्लीमेन्टेशन /आइपीसी–VI/ 2017/155011 दिनांक–28.12.2017 द्वारा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों का संचालन न किये जाने के निर्देश दिये गये है।

निरीक्षण के समय इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा संबंधित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–28.08.2018 का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्र सं0 955/ओजी–616/18 दिनांक–22.09.2018 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच 25378/सी–4/सा–।।/543/का0ब0नो0/18 दिनांक–28.08.2018 की पुष्टि करते हुये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स सिद्ध विनायक स्टोन गैंगसा, तॉतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई मैसर्स सिद्ध विनायक स्टोन गैंगसा, तॉतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा इकाई को मिलने वाली सुविधाओं पानी की आपूर्ति, जिला उद्योग केन्द्र की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये ?

15/10

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।
3. अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, आगरा को इस आशय के साथ कि उद्योग विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. महा प्रबंधक जल संस्थान, आगरा उद्योग की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

15/10

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 4/27/20 /सी–4/सा–II/540/बंदी आदेश/18 दिनांक 15-10-18

पंजीकृत

मैसर्स विनायक स्टोन,
मुशलपुर रोड, तौंतपुर,
आगरा।

मैसर्स विनायक स्टोन, मुशलपुर रोड, तौंतपुर, आगरा द्वारा गैंगसा इकाई (लाल पत्थर कटाने की मशीन) द्वारा लाल पत्थर की कटिंग का कार्य करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक–20.09.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में गैंगसा इकाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित तथा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित की जा रही है। इकाई में एक सबमर्सिबल स्थापित है जिसकी अनुमति सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त नहीं की गयी है। रेड स्टोन कटिंग के दौरान प्रयुक्त जल का परिसर में स्थापित टैंक के विभिन्न चैनलों के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाता है तथा टैंक में एकत्रित स्टोन डस्ट (स्लज) को निकालकर भूमि पर एकत्र किया जाता है। तेज वायु गति के दौरान स्टोन डस्ट का हवा के साथ उड़ना स्वाभाविक है जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जनस्वास्थ्य हेतु उचित नहीं है। इकाई में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 केवीए का डीजी सेट स्थापित किया गया है जिसमें एकझास्ट पाइप मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 एफ नं0–बी–300/इम्प्लीमेन्टेशन /आइपीसी–VI/ 2017/155011 दिनांक–28.12.2017 द्वारा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों का संचालन न किये जाने के निर्देश दिये गये है।

निरीक्षण के समय इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा संबंधित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–28.08.2018 का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्र सं0 953/ओजी–616/18 दिनांक–22.09.2018 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच 25371/सी–4/सा–II/540/का0ब0नो0/18 दिनांक–28.08.2018 की पुष्टि करते हुये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा जल प्रदूषण नियत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स विनायक स्टोन, मुशलपुर रोड, तौंतपुर, आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई मैसर्स विनायक स्टोन, मुशलपुर रोड, तौंतपुर, आगरा इकाई को मिलने वाली सुविधाओं पानी की आपूर्ति, जिला उद्योग केन्द्र की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये ?

15/10

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।
3. अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, आगरा को इस आशय के साथ कि उद्योग विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।
4. महा प्रबंधक जल संस्थान, आगरा उद्योग की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।

15/10

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 42781 /सी–4/सा–।।/539/बंदी आदेश/18 दिनांक 15/10/18

पंजीकृत,

मैसर्स राधिका गैंगसा इण्डस्ट्रीज,
घसकटा रोड, ब्लाक–जगनेर,
तहसील–खेरागढ़, आगरा।

मैसर्स राधिका गैंगसा इण्डस्ट्रीज, घसकटा रोड, तौंतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा द्वारा गैंगसा इकाई (लाल पत्थर कटाने की मशीन) द्वारा लाल पत्थर की कटिंग का कार्य करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक–20.09.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में गैंगसा इकाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित तथा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित की जा रही है। इकाई में एक सबमर्सिबल स्थापित है जिसकी अनुमति सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त नहीं की गयी है। रेड स्टोन कटिंग के दौरान प्रयुक्त जल का परिसर में स्थापित टैंक के विभिन्न चैनलों के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाता है तथा टैंक में एकत्रित स्टोन डस्ट (स्लज) को निकालकर भूमि पर एकत्र किया जाता है। तेज वायु गति के दौरान स्टोन डस्ट का हवा के साथ उड़ना स्वाभाविक है जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जनस्वास्थ्य हेतु उचित नहीं है। इकाई में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 केवीए का डीजी सेट स्थापित किया गया है जिसमें एकझास्ट पाइप मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 एफ नं0–बी–300/इम्प्लीमेन्टेशन /आइपीसी–VI/ 2017/155011 दिनांक–28.12.2017 द्वारा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों का संचालन न किये जाने के निर्देश दिये गये है।

निरीक्षण के समय इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा संबंधित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–28.08.2018 का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्र सं0 952/ओजी–616/18 दिनांक–22.09.2018 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच 25372/सी–4/सा–।।/539/का0ब0नो0/18 दिनांक–28.08.2018 की पुष्ठि करते हुये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स राधिका गैंगसा इण्डस्ट्रीज, तौंतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई मैसर्स राधिका गैंगसा इण्डस्ट्रीज, तौंतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा इकाई को मिलने वाली सुविधाओं पानी की आपूर्ति, जिला उद्योग केन्द्र की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये ?

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।
3. अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, आगरा को इस आशय के साथ कि उद्योग विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।
4. महा प्रबधक जल संस्थान, आगरा उद्योग की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC-12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Email: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या/ H29182 /सी–4/सा–II/546/बंदी आदेश/18 दिनांक 15-10-18

पंजीकृत

मैसर्स श्री राम जी स्टोन इण्डस्ट्रीज (गैंगसा),
घसकटा रोड, ब्लाक–जगनेर,
तहसील–खेरागढ़, आगरा।

मैसर्स श्री राम जी स्टोन इण्डस्ट्रीज (गैंगसा), तॉंतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा द्वारा गैंगसा इकाई (लाल पत्थर कटाने की मशीन) द्वारा लाल पत्थर की कटिंग का कार्य करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक–20.09.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में गैंगसा इकाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित तथा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित की जा रही है। इकाई में एक सबमर्सिबल स्थापित है जिसकी अनुमति सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त नहीं की गयी है। रेड स्टोन कटिंग के दौरान प्रयुक्त जल का परिसर में स्थापित टैंक के विभिन्न चैनलों के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाता है तथा टैंक में एकत्रित स्टोन डस्ट (स्लज) को निकालकर भूमि पर एकत्र किया जाता है। तेज वायु गति के दौरान स्टोन डस्ट का हवा के साथ उड़ना स्वाभाविक है जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जनस्वास्थ्य हेतु उचित नहीं है। इकाई में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 केवीए का डीजी सेट स्थापित किया गया है जिसमें एकझास्ट पाइप मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 एफ नं0–बी–300/इम्प्लीमेन्टेशन /आइपीसी–VI/ 2017/155011 दिनांक–28.12.2017 द्वारा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों का संचालन न किये जाने के निर्देश दिये गये है।

निरीक्षण के समय इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा संबंधित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–28.08.2018 का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्र सं0 958/ओजी–616/18 दिनांक–22.09.2018 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच25385/सी–4/सा–II/546/का0ब0नो0/18 दिनांक–28.08.2018 की पुष्टि करते हुये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स श्री राम जी स्टोन इण्डस्ट्रीज (गैंगसा), तॉंतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई श्री राम जी स्टोन इण्डस्ट्रीज (गैंगसा), तॉंतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा काई को मिलने वाली सुविधाओं पानी की आपूर्ति, जिला उद्योग केन्द्र की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये ?

15/10

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।
3. अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, आगरा को इस आशय के साथ कि उद्योग विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।
4. महा प्रबंधक जल संस्थान, आगरा उद्योग की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।

15/10
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या-127183 /सी-4/सा-II/549/बंदी आदेश/18 दिनांक 15-10-18

पंजीकृत

मैसर्स एस0एस0 स्टोन,
घसकटा रोड, ब्लाक-जगनेर,
तहसील-खेरागढ़, आगरा।

मैसर्स एस0एस0 स्टोन, घसकटा रोड, तॉंतपुर, ब्लाक-जगनेर, तहसील-खेरागढ़, आगरा द्वारा गैंगसा इकाई (लाल पत्थर कटाने की मशीन) द्वारा लाल पत्थर की कटिंग का कार्य करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक-20.09.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में गैंगसा इकाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित तथा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित की जा रही है। इकाई में एक सबमर्सिबल स्थापित है जिसकी अनुमति सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त नहीं की गयी है। रेड स्टोन कटिंग के दौरान प्रयुक्त जल का परिसर में स्थापित टैंक के विभिन्न चैनलों के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाता है तथा टैंक में एकत्रित स्टोन डस्ट (स्लज) को निकालकर भूमि पर एकत्र किया जाता है। तेज वायु गति के दौरान स्टोन डस्ट का हवा के साथ उड़ना स्वाभाविक है जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जनस्वास्थ्य हेतु उचित नहीं है। इकाई में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 केवीए का डीजी सेट स्थापित किया गया है जिसमें एकझास्ट पाइप मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 एफ नं0-बी-300/इम्प्लीमेन्टेशन /आइपीसी-VI/ 2017/155011 दिनांक-28.12.2017 द्वारा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों का संचालन न किये जाने के निर्देश दिये गये है।

निरीक्षण के समय इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा संबंधित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-28.08.2018 का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्र सं0 963/ओजी-616/18 दिनांक-22.09.2018 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच25386 /सी-4/सा-II/549/का0ब0नो0/18 दिनांक-28.08.2018 की पुष्टि करते हुये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियो के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स मैसर्स एस0एस0 स्टोन, घसकटा रोड, तॉंतपुर, ब्लाक-जगनेर, तहसील-खेरागढ़, आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई मैसर्स एस0एस0 स्टोन, घसकटा रोड, तॉंतपुर, ब्लाक-जगनेर, तहसील-खेरागढ़, आगरा इकाई को मिलने वाली सुविधाओं पानी की आपूर्ति, जिला उद्योग केन्द्र की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये ?

15/10

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।
3. अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, आगरा को इस आशय के साथ कि उद्योग विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।
4. महा प्रबंधक जल संस्थान, आगरा उद्योग की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।

15/10

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

टी.सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या /227184/सी–4/सा–II/545/बंदी आदेश/18 दिनांक 15-10-18

पंजीकृत

मैसर्स श्री साई बाबा स्टोन इण्डस्ट्रीज,
घसकटा रोड, ब्लाक–जगनेर,
तहसील–खेरागढ़, आगरा।

मैसर्स श्री साई बाबा स्टोन इण्डस्ट्रीज, घसकटा रोड, तॉतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा द्वारा गैंगसा इकाई (लाल पत्थर कटाने की मशीन) द्वारा लाल पत्थर की कटिंग का कार्य करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक–20.09.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। ताज ट्रपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में गैंगसा इकाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित तथा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित की जा रही है। इकाई में एक सबमर्सिबल स्थापित है जिसकी अनुमति सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त नहीं की गयी है। रेड स्टोन कटिंग के दौरान प्रयुक्त जल का परिसर में स्थापित टैंक के विभिन्न चैनलों के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाता है तथा टैंक में एकत्रित स्टोन डस्ट (स्लज) को निकालकर भूमि पर एकत्र किया जाता है। तेज वायु गति के दौरान स्टोन डस्ट का हवा के साथ उड़ना स्वाभाविक है जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जनस्वास्थ्य हेतु उचित नहीं है। इकाई में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 केवीए का डीजी सेट स्थापित किया गया है जिसमें एकझास्ट पाइप मानकों के अनुरूप स्थापित नही है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 एफ नं0–बी–300/इम्प्लीमेन्टेशन. /आइपीसी–VI/ 2017/155011 दिनांक–28.12.2017 द्वारा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों का संचालन न किये जाने के निर्देश दिये गये है।

निरीक्षण के समय इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा संबंधित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–28.08.2018 का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बोर्ड मुख्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच25387 /सी–4/सा–II/545/का0ब0नो0/18 दिनांक–28.08.2018 को अपने पत्र सं0 932/ओजी/18 दिनांक–22.09.2018 के माध्यम से पुष्टि करते हुये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स मैसर्स श्री साई बाबा स्टोन इण्डस्ट्रीज, घसकटा रोड, तॉतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई मैसर्स श्री साई बाबा स्टोन इण्डस्ट्रीज, घसकटा रोड, तॉतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा इकाई को मिलने वाली सुविधाओं पानी की आपूर्ति, जिला उद्योग केन्द्र की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये ?

15/10

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।
3. अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, आगरा को इस आशय के साथ कि उद्योग विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।
4. महा प्रबंधक जल संस्थान, आगरा उद्योग की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।

15/10

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC/12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 4/27186 /सी–4/सा–11/541/बंदी आदेश/18 दिनांक 15-10-2018

पंजीकृत

मैसर्स माता कैला देवी गैंगसा स्टोन प्रा0लि0,
घसकटा, तॉतपुर, ब्लॉक–जगनेर,
तहसील–खैरागढ़, आगरा

मैसर्स माता कैला देवी गैंगसा स्टोन प्रा0लि0, घसकटा, तॉतपुर, ब्लॉक–जगनेर, तहसील–खैरागढ़, आगरा द्वारा गैंगसा इकाई (लाल पत्थर कटाने की मशीन) द्वारा लाल पत्थर की कटिंग का कार्य करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक–20.09.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। ताज ट्रैपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में गैंगसा इकाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित तथा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित की जा रही है। इकाई में एक सबमर्सिबल स्थापित है जिसकी अनुमति सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त नहीं की गयी है। रेड स्टोन कटिंग के दौरान प्रयुक्त जल का परिसर में स्थापित टैंक के विभिन्न चैनलों के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाता है तथा टैंक में एकत्रित स्टोन डस्ट (स्लज) को निकालकर भूमि पर एकत्र किया जाता है। तेज वायु गति के दौरान स्टोन डस्ट का हवा के साथ उड़ना स्वाभाविक है जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जनस्वास्थ्य हेतु उचित नहीं है। इकाई में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 केवीए का डीजी सेट स्थापित किया गया है जिसमें एकझास्ट पाइप मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 एफ नं0–बी–300/इम्प्लीमेन्टेशन /आइपीसी–VI/ 2017/155011 दिनांक–28.12.2017 द्वारा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों का संचालन न किये जाने के निर्देश दिये गये है।

निरीक्षण के समय इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा संबंधित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उद्योग द्वारा पर्यावरण (सरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नही किया जा रहा है। उद्योग द्वारा बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–28.08.2018 का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बोर्ड मुख्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच25370/सी–4/सा–11/541/का0ब0नो0/18 दिनांक–28.08.2018 को अपने पत्र सं0 959/ओजी/18 दिनांक–22.09.2018 के माध्यम से पुष्ठि करते हुये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स माता कैला देवी गैंगसा स्टोन प्रा0लि0, घसकटा, तॉतपुर, ब्लॉक–जगनेर, तहसील–खैरागढ़, आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई मैसर्स माता कैला देवी गैंगसा स्टोन प्रा0लि0, घसकटा, तॉतपुर, ब्लॉक–जगनेर, तहसील–खैरागढ़, आगरा इकाई को मिलने वाली सुविधाओं पानी की आपूर्ति, जिला उद्योग केन्द्र की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये ?

15/10

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।
3. अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, आगरा को इस आशय के साथ कि उद्योग विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।
4. महा प्रबंधक जल संस्थान, आगरा उद्योग की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।

15/10

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या/ / सी–4 / सा– II / 561 / बंदी आदेश / 18

दिनांक 15-10-18

मैसर्स माँ वैष्णो स्टोन इण्डस्ट्रीज,
सहपुर रोड, तहसील–खेरागढ़,
आगरा।

पंजीकृत

मैसर्स माँ वैष्णो स्टोन इण्डस्ट्रीज, सहपुर रोड, तहसील–खेरागढ़, आगरा द्वारा गैंगसा इकाई (लाल पत्थर कटाने की मशीन) द्वारा लाल पत्थर की कटिंग का कार्य करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कारत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक–20.09.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में गैंगसा इकाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित तथा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित की जा रही है। इकाई में एक सबमर्सिबल स्थापित है जिसकी अनुमति सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त नहीं की गयी है। रेड स्टोन कटिंग के दौरान प्रयुक्त जल का परिसर में स्थापित टैंक के विभिन्न चैनलों के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाता है तथा टैंक में एकत्रित स्टोन डस्ट (स्लज) को निकालकर भूमि पर एकत्र किया जाता है। तेज वायु गति के दौरान स्टोन डस्ट का हवा के साथ उड़ना स्वाभाविक है जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जनस्वास्थ्य हेतु उचित नहीं है। इकाई में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 केवीए का डीजी सेट स्थापित किया गया है जिसमें एकझास्ट पाइप मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 एफ नं0–बी–300/इम्प्लीमेन्टेशन /आइपीसी–VI/ 2017/155011 दिनाक–28.12.2017 द्वारा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों का संचालन न किये जाने के निर्देश दिये गये है।

निरीक्षण के समय इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा संबंधित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–28.08.2018 का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बोर्ड मुख्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच25354 /सी–4/सा–II/415/का0ब0नो0/18 दिनांक–28.08.2018 को अपने पत्र सं0 932/ओजी/18 दिनांक–22.09.2018 के माध्यम से पुष्टि करते हुये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स माँ वैष्णो स्टोन इण्डस्ट्रीज, सहपुर रोड, तहसील–खेरागढ़, आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई मैसर्स माँ वैष्णो स्टोन इण्डस्ट्रीज, सहपुर रोड, तहसील–खेरागढ़, आगरा इकाई को मिलने वाली सुविधाओं पानी की आपूर्ति, जिला उद्योग केन्द्र की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये ?

15/10

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।
3. अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, आगरा को इस आशय के साथ कि उद्योग विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. महा प्रबंधक जल संस्थान, आगरा उद्योग की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

15/10

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वीं विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC, 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 1127/1-6 /सी–4/सा–।।/550/बंदी आदेश/18 दिनांक 15-10-2018

पंजीकृत

मैसर्स गणेश स्टोन,
घसकटा रोड, ब्लाक–जगनेर,
तहसील–खेरागढ़, आगरा।

मैसर्स गणेश स्टोन, घसकटा रोड, तॉतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा द्वारा गैंगसा इकाई (लाल पत्थर कटाने की मशीन) द्वारा लाल पत्थर की कटिंग का कार्य करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक–20.09.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में गैंगसा इकाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित तथा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित की जा रही है। इकाई में एक सबमर्सिबल स्थापित है जिसकी अनुमति सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त नहीं की गयी है। रेड स्टोन कटिंग के दौरान प्रयुक्त जल का परिसर में स्थापित टैंक के विभिन्न चैनलों के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाता है तथा टैंक में एकत्रित स्टोन डस्ट (स्लज) को निकालकर भूमि पर एकत्र किया जाता है। तेज वायु गति के दौरान स्टोन डस्ट का हवा के साथ उड़ना स्वाभाविक है जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जनस्वास्थ्य हेतु उचित नहीं है। इकाई में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 केवीए का डीजी सेट स्थापित किया गया है जिसमें एकझास्ट पाइप मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 एफ न0–बी–300/इम्प्लीमेन्टेशन /आइपीसी–VI/ 2017/155011 दिनांक–28.12.2017 द्वारा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों का संचालन न किये जाने के निर्देश दिये गये है।

निरीक्षण के समय इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा संबंधित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–28.08.2018 का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्र सं0 959/ओजी–616/18 दिनांक–22.09.2018 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच 25374/सी–4/सा–।।/550/का0ब0नो0/18 दिनांक–28.08.2018 की पुष्टि करते हुये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स गणेश स्टोन, घसकटा रोड, तॉतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई मैसर्स गणेश स्टोन, घसकटा रोड, तॉतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा इकाई को मिलने वाली सुविधाओं पानी की आपूर्ति, जिला उद्योग केन्द्र की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये ?

15/10
(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।
3. अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, आगरा को इस आशय के साथ कि उद्योग विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।
4. महा प्रबंधक जल संस्थान, आगरा उद्योग की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदिन कराने का कष्ट करें।

15/10
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सन्दर्भ सं0 427655 /सी–4/सा–।।–483/बंदी आदेश/2018 पंजीकृत दिनांक: 9-3-18

मै0 श्री राधे पेठा स्टोर विजाहरी,
विजयगढ़ रोड, सासनी,
जनपद–हाथरस

मै0 श्री राधे पेठा स्टोर विजाहरी, विजयगढ़ रोड, सासनी, जनपद–हाथरस जो कि कच्चे माल के रूप में पेठा (फल), चूना, चीनी आदि का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ द्वारा दि0 01.05.2018 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। उत्पादन प्रकिया में चूना के साथ धुलाई एवं कढाहा धुलाई से प्रदूषित उत्प्रवाह जनित होता है। प्रदूषित उत्प्रवाह को बिना शुद्धिकरण के अलीगढ, सासनी ड्रैन में निस्तारित किया जाता है, इकाई में उत्प्रवाह शुद्धिकरण व्यवस्था, स्थापित नही है। निरीक्षण के दौरान इकाई का उत्पादन कार्य बन्द कराकर मुख्य गेट पर ताला लगाकर सील किया गया। उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 के अन्तर्गत एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम की धारा–1981 के अन्तर्गत न तो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और न ही जल एवं वायु सहमति प्राप्त की गई है।

यतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जल प्रदूषण की रोकथाम, जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–33ए सपठित धारा–27(2) के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जायें।

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग मै0 श्री राधे पेठा स्टोर विजाहरी, विजयगढ़ रोड, सासनी, जनपद–हाथरस को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 के अन्तर्गत निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते है:–

1– यह कि उद्योग मै0 श्री राधे पेठा स्टोर विजाहरी, विजयगढ़ रोड, सासनी, जनपद–हाथरस का संचालन कदापि न किया जायें।

2– यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपके औद्योगिक संयंत्र को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, हाथरस को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी उक्त आदेश का अपने स्तर से अनुपालन करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 विद्युत पावर कार्पोरेशन (विद्युत वितरण खण्ड), हाथरस को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

3– महाप्रबंधक, जल संस्थान, हाथरस को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को दी जाने वाली जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या तीन दिन में प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी. 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail-info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सन्दर्भ सं0 H24548 / सी–4 / जल–89 / बंदी आदेश / 2018 दिनांक: 7-8-18

पंजीकृत

मै0 तमन्ना ट्रेडर्स, अजन्ता ग्लास फैक्ट्री कम्पाउण्ड,
स्टेशन रोड, सासनी,
जनपद–हाथरस।

मै0 तमन्ना ट्रेडर्स, अजन्ता ग्लास फैक्ट्री कम्पाउण्ड, स्टेशन रोड, सासनी, जनपद–हाथरस जो कि कच्चे माल के रूप मे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्वानेट, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हुए पोटेशियम नाइट्रेट एवं सोडियम नाइट्रेट (साल्टपीटर) का उत्पादन करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि अवैध रूप से संचालित इकाई की शिकायत दिनांक 01.05.2018 को जनप्रतिनिधियों द्वारा की गयी थी। तत्काल में उपजिलाधिकारी, सिकन्द्राराऊ हाथरस की उपस्थिति में इकाई का दिनांक 01.05.2018 को संयुक्त निरीक्षण उद्योग प्रतिनिधि श्री चन्द्रपाल (सुपरवाइजर) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय इकाई में कार्य बन्द पाया गया। इकाई में जल / वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नही पाई गई। प्रकिया से जनित उत्प्रवाह को बिना शुद्धीकृत किये निस्तारित किया जाता है। इकाई द्वारा बोर्ड से एन0ओ0सी0 / सहमति प्राप्त नही की गई है। इकाई का संचालन बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से किया जा रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पत्र सं0–313 / एमटी–16 / 18, दिनांक 03.05.18 एवं बोर्ड मुख्यालय द्वारा दि0 28.07.16 के माध्यम से उद्योग को नोटिस प्रेषित किये गये है, जिसका अनुपालन उद्योग द्वारा नही किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पत्र संख्या–312 / एमटी–16 / 18, दि0–03.05.18 द्वारा उद्योग के विरूद्ध जल अधिनियम, 1974की धारा–33ए के अन्तर्गत बन्दी किये जाने हेतु संस्तुति की गई है।

यतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जल प्रदूषण की रोकथाम, जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–33ए सपठित धारा–27(2) के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जायें।

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोरान्त उद्योग मै0 तमन्ना ट्रेडर्स, अजन्ता ग्लास फैक्ट्री कम्पाउण्ड, स्टेशन रोड, सासनी, जनपद–हाथरस को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किये जाते है:–

1– यह कि उद्योग मै0 तमन्ना ट्रेडर्स, अजन्ता ग्लास फैक्ट्री कम्पाउण्ड, स्टेशन रोड, सासनी, जनपद–हाथरस का संचालन तत्काल बन्द कर दें।

2– यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपके औद्योगिक संयंत्र को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– जिलाधिकारी, हाथरस को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराने का कष्ट करें।

2– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 विद्युत पावर कार्पोरेशन (विद्युत वितरण खण्ड), हाथरस को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

3– महाप्रबंधक, जल संस्थान, हाथरस को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को दी जाने वाली जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या तीन दिन में प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी. 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 122239 /सी–4/सा–।।–423/बंदी आदेश/18

दिनांक पंजीकृत 20/3/18

मैसर्स श्री योगेश चौधरी पुत्र श्री मोहन सिह द्वारा संचालित जिंक इंगट कारखाना,
सरायगढ़ी, नई आबादी, सासनी गेट, महेश्वरी इंटर कॉलेज के पीछे, जनपद अलीगढ़

मैसर्स श्री योगेश चौधरी पुत्र श्री मोहन सिह द्वारा संचालित जिंक इंगट कारखाना, सरायगढ़ी, नई आबादी, सासनी गेट, महेश्वरी इंटर कॉलेज के पीछे, जनपद अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप में जिंक स्क्रेप को मेल्ट कर जिंक इंगट का उत्पादन करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग का स्थल निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–12.12.2017 को किया गया। इकाई में जिंक स्कैप को गलाकर जिंक इंगट बनाया जाता है। इस कार्य हेतु इकाई में 01 पिट फर्नेश की स्थापना की गयी है। फर्नेश में ईधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। ईधन के दहन से जनित फ्लू गैस उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।

यह कि उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनिमय, 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा21 के अन्तर्गत न तो स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और न ही संचालन हेतु सहमति जल एवं वायु प्राप्त की गयी है।

उद्योग द्वारा बोर्ड मुख्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच11999/सी–4/सा–।।/423/17 दिनांक–15.11.2017 का प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बोर्ड मुख्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच11999/सी–4/सा–।।/423/17 दिनांक–15.11.2017 की पुष्टि अपने पत्र सं0 3873/एवाई–626/18 दिनांक–28.03.2018 से करते हुये बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुये जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत निम्न बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स श्री योगेश चौधरी पुत्र श्री मोहन सिह द्वारा संचालित जिंक इंगट कारखाना, सरायगढ़ी, नई आबादी, सासनी गेट, महेश्वरी इंटर कॉलेज के पीछे, जनपद अलीगढ़ के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि वे आपके उद्योग मैसर्स श्री योगेश चौधरी पुत्र श्री मोहन सिह द्वारा संचालित जिंक इंगट कारखाना, सरायगढ़ी, नई आबादी, सासनी गेट, महेश्वरी इंटर कॉलेज के पीछे, जनपद अलीगढ़ इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति सहित अन्य सुविधाओं जैसे कोयले की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, जिला उद्योग पंजीयन की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये।

(डा0 मो0 सिकन्दर)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि संदर्भित इकाई को बंद कराने का कष्ट करें।
2. पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि संदर्भित इकाई को बंद कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि उक्त बंदी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या एवं फोटोग्राफ तथा पूर्ण सूचनाओं सहित अभियोजनात्मक कार्यवाही के सबंध में स्पष्ट संस्तुति प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सन्दर्भ सं0 H29945 /सी–4/11/517/बंदी/2018

दिनांकः
पंजीकृत/19-12-18

मै0 बाबू खान,
प्लाट नं0–एन–18, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद,
जनपद बुलन्दशहर ।

मै0 बाबू खान, प्लाट नं0–एन–18, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर जो कि कच्चे माल के रूप में रॉ–जीन्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, डाईज, कलर एवं कैमिकल्स आदि का प्रयोग कर जीन्स की रंगाई एवं वॉशिंग का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, बुलन्दशहर द्वारा दि0 05.09.2018 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा उद्योग की स्थापना एवं संचालन संबंधी राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जल एवं वायु सहमति तथा अन्य प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु उद्योग प्रतिनिधि द्वारा वांछित प्रपत्र प्रस्तुत नही किया जा सकें। उद्योग को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उद्योग की स्थापनार्थ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही है एवं न ही उद्योग के संचालन हेतु जल एवं वायु ही प्राप्त की गयी है। उद्योग द्वारा बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करने हेतु आवेदन भी नही किया गया है। उद्योग का संचालन संचालन बन्द करने एवं राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही उत्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पत्र संख्या–1217/बीबी–66/18, दिनांक 06.09.2018 द्वारा उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जल प्रदूषण की रोकथाम, जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चूँकि उद्योग द्वारा बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये उद्योग की स्थापना/संचालन किया जा रहा है, उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–32 (1C) के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

1– यह कि उद्योग मै0 बाबू खान, प्लाट नं0–एन–18, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर का उत्पादन संचालन प्रकिया बन्द कर दी जायें।

2– यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जायें कि वे आपके उद्योग मै0 बाबू खान, प्लाट नं0–एन–18, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर को मिलने वाली सुविधा जैसे विद्युत एवं पानी की आपूर्ति आदि को निरस्त कर तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

18/12

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–4

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराने का कष्ट करें।

2– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 विद्युत पावर कार्पोरेशन (विद्युत वितरण खण्ड), बुलन्दशहर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

3– महाप्रबंधक, जल संस्थान, बुलन्दशहर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को दी जाने वाली जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।

18/12

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–4

टी.सी. 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC-12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सन्दर्भ सं0 H 29946 / सी–4 / 11 / 569 / बंदी आदेश / 2018 दिनांक: 19-12-18

पंजीकृत

मै0 एस0एम0 वॉश,
प्लाट नं0–नं0–आर–48, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद,
जनपद बुलन्दशहर ।

मै0 एस0एम0 वॉश, प्लाट नं0–नं0–आर–48, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर जो कि कच्चे माल के रूप में रॉ–जीन्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडा ऐस, कास्टिक आदि का प्रयोग कर जीन्स की वॉशिंग का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, बुलन्दशहर द्वारा दि0 05.09.2018 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा उद्योग की स्थापना एवं संचालन संबंधी राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जल एवं वायु सहमति तथा अन्य प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु उद्योग प्रतिनिधि द्वारा वांछित प्रपत्र प्रस्तुत नही किया जा सकें। उद्योग को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उद्योग की स्थापनार्थ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही है एवं न ही उद्योग के संचालन हेतु जल एवं वायु ही प्राप्त की गयी है। उद्योग द्वारा बोर्ड से सहमति जल / वायु प्राप्त करने हेतु आवेदन भी नही किया गया है। उद्योग का संचालन संचालन बन्द करने एवं राज्य बोर्ड से जल / वायु सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही उत्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पत्र संख्या–1216 / बीएस–204 / 18, दिनांक 06.09.2018 द्वारा उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जल प्रदूषण की रोकथाम, जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जायें।

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोरान्त उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 / 26 के अन्तर्गत निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते है:–

1– यह कि उद्योग मै0 एस0एम0 वॉश, प्लाट नं0–नं0–आर–48, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।

2– यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपके उद्योग मै0 एस0एम0 वॉश, प्लाट नं0–नं0–आर–48, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर को मिलने वाली सुविधा जैसे कोयले की आपूर्ति, विद्युत एवं पानी की आपूर्ति आदि को निरस्त कर तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

18/12

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–4

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराने का कष्ट करें।

2– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 विद्युत पावर कार्पोरेशन (विद्युत वितरण खण्ड), बुलन्दशहर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

3– महाप्रबंधक, जल संस्थान, बुलन्दशहर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को दी जाने वाली जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।

18/12

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–4

टी.सी. 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 4846/49 / सी–4 / सा–।। / 496 / बंदी आदेश / 18 दिनांक 9-8-18

श्री राम कन्स्ट्रक्शन, तेहरा
(शान्ती निकेतन कॉलेज आफ बिजनेस मैनेजमेन्ट के समीप)
ग्वालियर रोड, आगरा।

श्री राम कन्स्ट्रक्शन, तेहरा (शान्ती निकेतन कॉलेज आफ बिजनेस मैनेजमेन्ट के समीप) ग्वालियर रोड, आगरा द्वारा कच्चे माल के रूप में कंक्रीट, चारकोल (विटुमिन) का प्रयोग कर विटुमिन मिक्सचर का उत्पादन करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है। जो कि वायु प्रदूषण की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक– 14.05.2018 को किया गया। इकाई निरीक्षण के समय संचालित नहीं पायी गयी। उक्त इकाई में कच्चे माल के रूप कंकीट, चारकोल (विटुमिन) का प्रयोग कर विटुमिन मिक्चर के उत्पादन हेतु हॉट मिक्स प्लांट स्थापित है। इकाई में ईधन के रूप में एलपीजी गैस एवं डीजल का प्रयोग किया जाता है। इकाई में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 82 केवीए का डीजी सेट स्थापित किया गया है। इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्प्रिंकलर सिस्टम एवं ग्रीन बेल्ट की व्यवस्था नहीं पायी गयी। इकाई टीटीजेड क्षेत्र में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक सं0 310 / डीजी–634 / 2018 दिनांक–17.05.2018 के माध्यम से उद्योग के विरूद्ध वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की बैठक दिनांक–01.07.2010 के कार्यवृत्त दिनांक–17.07.2010 में अध्यक्ष, टी0टी0जेड0 अथॉरिटी द्वारा आदेशित किया गया है कि टी0टी0जेड0 क्षेत्र में लो0नि0वि0 से संबंधित सभी हॉट मिक्स प्लॉट प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित अथवा बंद करा दिया जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुये जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत निम्न बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स श्री राम कन्स्ट्रक्शन, तेहरा (शान्ती निकेतन कॉलेज आफ बिजनेस मैनेजमेन्ट के समीप) ग्वालियर रोड, आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई मैसर्स श्री राम कन्स्ट्रक्शन, तेहरा (शान्ती निकेतन कॉलेज आफ बिजनेस मैनेजमेन्ट के समीप) ग्वालियर रोड, आगरा इकाई को मिलने वाली अन्य सुविधाओं विद्युत विच्छेदन, पानी की आपूर्ति, अन्य आदि की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित / बंद कर दिया जाये।

(डा0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

<u>प्रतिलिपि</u> :– <u>निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को बंद कराने का कष्ट करें।
2. महाप्रबंधक जल संस्थान, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग की जल आपूर्ति बंद करें।
3. अधीशासी अभियन्ता उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, आगरा को इस आशय के साथ कि उद्योग का विद्युत विच्छेदन करने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या /H241650/सी–4/सा–।। /497/बंदी आदेश/18 दिनांक 9-8-18

मैसर्स आर0पी0 इन्फावेन्चर,
ग्राम–शालूवाई, मौजा–खण्डेर,
तहसील–फतेहाबाद, आगरा

मैसर्स आर0पी0 इन्फावेन्चर, ग्राम–शालूवाई, मौजा–खण्डेर, तहसील–फतेहाबाद, आगरा द्वारा कच्चे माल के रूप में कंक्रीट, चारकोल (विटुमिन) का प्रयोग कर विटुमिन मिक्सचर का उत्पादन करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है। जो कि वायु प्रदूषण की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक–12.04..2018 को किया गया। इकाई निरीक्षण के समय संचालित नहीं पायी गयी। इकाई में ईंधन के रूप में एल0डी0ओ0 गैस का प्रयोग किया जाता है। इकाई में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 82.5 केवीए का डीजी सेट स्थापित किया गया है। निरीक्षण के समय हॉट मिक्स में गिट्टी लोडिंग हॉपर पर गिट्टी लोडिंग के समय उत्सर्जित डस्ट के रोक–थाम हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। हॉट मिक्स प्लांट में स्थापित चिमनी की ऊंचाई भू–तल से लगभग 12 फिट ऊंची है, जो बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं है। चिमनी पर चिमनी से उत्सर्जन के वायु अनुश्रवण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है। उद्योग से मैटेरियल लोडिंग एवं अनलोडिंग के दौरान डस्ट उड़ना स्वाभाविक है। जिससे वायु प्रदूषण जनित होता है। उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्प्रिंकलर सिस्टम एवं ग्रीन बेल्ट की व्यवस्था नहीं पायी गयी।

उद्योग जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत आच्छादित है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सूची में ऑरेन्ज श्रेणी में अंकित है। उद्योग टीटीजेड क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किये बिना ही स्थापित है। उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया गया है तथा जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये ही उद्योग से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण एवं गैसीय उत्सर्जन किया जा रहा है। जिससे आस–पास के निवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।

ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की बैठक दिनांक–01.07.2010 के कार्यवृत्त दिनांक–17.10.2010 में अध्यक्ष, टीटीजेड अथॉरिटी द्वारा आदेश किया गया है कि टीटीजेड क्षेत्र में लो0नि0वि से संबधित सभी हॉट मिक्स प्लांट प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित अथवा बंद करा दिये जायें।

निरीक्षण के समय इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा संबंधित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक सं0 69/ओजी–634/2018 दिनांक–16.04.2018.2018 के माध्यम से उद्योग के विरूद्व विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुये जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त तथ्यों तथा वायु प्रदूषण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुये जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग के विरूद्व सक्षम अधिकारी की अनुमति से बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स आर0पी0 इन्फावेन्चर, ग्राम–शालूवाई, मौजा–खण्डेर, तहसील–फतेहाबाद; आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपके इकाई मैसर्स आर0पी0 इन्फावेन्चर, ग्राम–शालूवाई, मौजा–खण्डेर, तहसील–फतेहाबाद, आगरा इकाई को मिलने वाली सुविधाओं जैसे विद्युत आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, आदि की अनुमति को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये ?

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

<u>प्रतिलिपि</u> :– <u>निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> :–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, (विद्युत वितरण खण्ड), आगरा को इस इस आशय के साथ कि तत्काल उद्योग का विद्युत विच्छेदन कराने का कष्ट करें।
3. महा प्रबंधक जल संस्थान, आगरा को इस आशय के साथ प्रेषित कि तत्काल उद्योग की जल आपूर्ति विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्या H24452 सी–4/सा0–II-501/2018 दिनांक 9-8-18

मै0 आर0पी0 इन्फावेन्चर प्रा0 लि0,
खसरा–386, 387, ग्राम–बमरौली कटारा,
आगरा ।

मै0 आर0पी0 इन्फावेन्चर प्रा0 लि0, खसरा–386, 387, ग्राम–बमरौली कटारा, आगरा द्वारा कच्चे माल के रूप में कंकीट, चारकोल (विटुमिन) का प्रयोग कर विटुमिन मिक्चर का निर्माण का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 आर0पी0 इन्फावेन्चर प्रा0 लि0, खसरा–386, 387, ग्राम–बमरौली कटारा, आगरा का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.04.2018 को किया गया। उद्योग मै0 आर0पी0 इन्फावेन्चर प्रा0 लि0, खसरा–386, 387, ग्राम–बमरौली कटारा, आगरा में स्थापित है, जो निरीक्षण के समय संचालित पाया गया। उद्योग में ईंधन के रूप एल0पी0जी0 गैस का प्रयोग किया जाता है। उद्योग में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 केवीए का 01 नग, 62.5 केवीए का 01 नग, 250 केवीए का 01 नग डीजल संचालित डीजीसेट स्थापित किया गया है। निरीक्षण के समय हॉट मिक्स में गिट्टी लीडिंग के समय उत्सर्जित डस्ट के रोक थाम हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित नही पाई गई। हॉट मिक्स प्लांट में स्थापित चिमनी की ऊँचाई भू–तल से लगभग 12 मीटर ऊँची है। चिमनी पर चिमनी से उत्सर्जन के वायु अनुश्रवण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नही है। उद्योग में मैटेरियल लोडिंग एवं अनलोडिंग के दौरान डस्ट उड़ना स्वाभाविक है, जिससे वायु प्रदूषण जनित होता है। उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्प्रिंकलर सिस्टम एवं ग्रीन बेल्ट की व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग टी0टी0जेड0 के अन्तर्गत बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में वायु प्रदूषण की रोकथाम, जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण हित में जन साधारण को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग मै0 आर0पी0 इन्फावेन्चर प्रा0 लि0, खसरा–386, 387, ग्राम–बमरौली कटारा, आगरा के विरूद्व निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं :–

1. यह कि उद्योग मै0 आर0पी0 इन्फावेन्चर प्रा0 लि0, खसरा–386, 387, ग्राम–बमरौली कटारा, आगरा का संचालन तत्काल बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपके औद्योगिक संयंत्र को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

(डॉ0 बी0बी0अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–4

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल अपने स्तर से बंद करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, आगरा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
3. महाप्रबंधक, जल संस्थान, आगरा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को दी जाने वाली जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या एवं भट्ठा स्वामी के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु पूर्ण विवरण सहित स्पष्ट संस्तुति एवं आख्या तीन दिन के अन्दर प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 124039 दिनांक 27-7-18

सी–4 / सा–II/470/बंदी / 2018

संशोधित पत्र

मै0 हॅस पाली प्लास्ट,
खसरा नं0–10ए व 10बी, मौजा–गुतिला,
आगरा।

मै0 हॅस पाली प्लास्ट, खसरा नं0–10ए व 10बी, मौजा–गुतिला, आगरा द्वारा कच्चे माल के रूप में लाल रंग के पत्थर का प्रयोग कर क्रसिंग एवं ग्राइडिंग कर रेड स्टोन पाउडर (गेरू) के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है। उद्योग के विरूद्ध जनशिकायत क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा में दिनांक 09.02.2018 को प्राप्त हुई है।

यह कि उद्योग का स्थल निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 27.11.2017 एवं 27.02.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री योगेश, मैनेजर उपस्थित थे। इकाई द्वारा मात्र पी0वी0सी0 पाइप उद्योग की स्थापना हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के पत्र सं0 1448 / एन0ओ0सी0–25 / 2012 दिनांक 26.11.2012 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। निरीक्षण दिनांक 27.02. 2018 के दौरान उद्योग में कच्चे माल के रूप में लाल रंग के पत्थर का प्रयोग कर क्रसिंग एवं ग्राइडिंग कर रेड स्टोन पाउडर (गेरू) का उत्पादन कार्य किया जा रहा था। स्टोन के क्रसिंग एवं ग्राइडिंग प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य लगभग 02 वर्षों से किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्र सं0 1188 / ओजी–27 / 2017 दिनांक 29.11.2017 एवं 1737 / ओजी–27 / 2018 दिनांक–08.02.2018 द्वारा नोटिस प्रेषित की गयी, जिसका उत्तर उद्योग द्वारा नहीं दिया गया है। उद्योग द्वारा स्टोन क्रसिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उद्योग के संचालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति जल / वायु प्राप्त नहीं किया गया है। उद्योग का संचालन राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25 / 26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–21 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31–ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मै0 हॅस पाली प्लास्ट, खसरा नं0–10ए व 10बी, मौजा–गुतिला, आगरा के विरूद्ध निम्नलिखित बन्दी आदेश / निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं :–

1. यह कि मै0 हॅस पाली प्लास्ट, खसरा नं0–10ए व 10बी, मौजा–गुतिला, आगरा के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह मै0 हॅस पाली प्लास्ट, खसरा नं0–10ए व 10बी, मौजा–गुतिला, आगरा को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति व जल आपूर्ति सहित अन्य समस्त सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

(डॉ मो0 सिकन्दर)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग का तत्काल विद्युत विच्छेदन कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या शीघ्र बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 422/661 /सी–4/सा–।।–500/बंदी आदेश/18 दिनांक 9-8-18

मैसर्स एस0एच0 रिजरफेसिंग,
ग्राम व पोस्ट–करधौना,
नियर कैला देवी इन्स्टीट्यूट, देवरी रोड,
आगरा।

मैसर्स एस0एच0 रिजरफेसिंग, ग्राम व पोस्ट–करधौना, नियर कैला देवी इन्स्टीट्यूट, देवरी रोड, आगरा द्वारा कच्चे माल के रूप में कंकीट, चारकोल (विटुमिन) का प्रयोग कर विटुमिन मिक्सचर का उत्पादन करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है। जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक–06.04.2018 को किया गया। इकाई निरीक्षण के समय संचालित नहीं पायी गयी। इकाई में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। इकाई में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 82.5 केवीए का डीजी सेट स्थापित किया गया है। निरीक्षण के समय हॉट मिक्स में कगट्टी लोडिंग हॉपर पर गिट्टी लोडिंग के समय उत्सर्जित डस्ट के रोक–थाम हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। हॉट मिक्स प्लांट में स्थापित चिमनी की ऊंचाई भू–तल से लगभग 12 फिट ऊंची है, जो बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं है। चिमनी पर चिमनी से उत्सर्जन के वायु अनुश्रवण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है। उद्योग से मैटेरियल लोडिंग एवं अनलोडिंग के दौरान डस्ट उड़ना स्वाभाविक है। जिससे वायु प्रदूषण जनित होता है। उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्प्रिंकलर सिस्टम एवं ग्रीन बेल्ट की व्यवस्था नहीं पायी गयी।

उद्योग जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत आच्छादित है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सूची में ऑरेन्ज श्रेणी में अंकित है। उद्योग टीटीजेड क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किये बिना ही स्थापित है। उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया गया है तथा जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये ही उद्योग से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण एवं गैसीय उत्सर्जन किया जा रहा है। जिससे आस–पास के निवासियों को वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।

ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की बैठक दिनांक–01.07.2010 के कार्यवृत्त दिनांक–17.07.2010 में अध्यक्ष, टीटीजेड अथॉरिटी द्वारा आदेश किया गया है कि टीटीजेड क्षेत्र में लो0नि0वि0 से सम्बिधित सभी हॉट मिक्स प्लांट प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित अथवा बंद करा दिये जायें।

निरीक्षण के समय इकाई में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा संबंधित विभागों के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के पत्र सं0 39/ओजी–27/2018 दिनांक–07.04.2018 द्वारा वांछित प्रपत्र/सूचनायें प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसका अनुपालन उद्योग द्वारा नहीं किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक सं0 60/ओजी–27/2018 दिनांक–12.04.2018.2018 के माध्यम से उद्योग के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुये जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स एस0एच0 रिजरफेसिंग, ग्राम व पोस्ट–करधौना, नियर कैला देवी इन्स्टीट्यूट, देवरी रोड, आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपके इकाई मैसर्स मैसर्स एस0एच0 रिजरफेसिंग, ग्राम व पोस्ट–करधौना, नियर कैला देवी इन्स्टीट्यूट, देवरी रोड, आगरा इकाई को मिलने वाली सुविधाओं जैसे कोयले की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये ?

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, आगरा को इस इस आशय के साथ कि तत्काल उद्योग का विद्युत विच्छेदन कराने का कष्ट करें।
3. महा प्रबंधक जल संस्थान, आगरा को इस अनुरोध के साथ तत्काल उद्योग के जल आपूर्ति विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C. 12, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 1122743/सी–4/सा–11/बंदी आदेश/475/18 दिनांक 27-6-18

मैसर्स वेव मैक्स पायरो प्रा0लि0,
प्लाट सं0 ई–42/43 यूपीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र,
सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर

मैसर्स वेव मैक्स पायरो प्रा0लि0, प्लाट सं0 ई–42/43 यूपीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर द्वारा कच्चे माल के रूप में वेस्ट स्क्रेप रबर (टायर्स) का उपयोग कर पायरोलिसिस ऑफ स्क्रैप टायर प्रकिया से पायरोलिसिस, फ्यूल ऑयल, कार्बन ब्लैक, स्टील वायर, पायरो गैस आदि का उत्पादन करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि उक्त इकाई का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बुलन्दशहर के सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक–08.06.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित नहीं पायी गयी, परन्तु उद्योग की अवस्था से यह परिलक्षित हो रहा था कि उद्योग का संचालन किया जा रहा है। दिनांक–10.06.2018 को रात्रि में निरीक्षण के समय प्लांट संचालित पाया गया।

उद्योग में निरीक्षण के समय पायरोलिसिस प्लान्ट के हाउस कीपिंग की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी तथा उद्योग परिसर में उद्योग में प्रयुक्त कच्चे माल के रूप में पुराने टायरों का रख–रखाव संतोषजनक नहीं पाया गया।

पायरोलिसिस प्लांट राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित कर लिया गया तथा राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत बिना वायु सहमति प्राप्त किये संचालित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्र सं0 806/बीडब्लयू–5/18 दिनांक–11.06.2018 के माध्यम से उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के प्राविधानों के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच 20697/सी–4/सा–11/475/का.ब.नो./2018 दिनांक–23.05.2018 की पुष्टि करते हुये बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुये जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से उद्योग को पत्र सं0 एच 20694/सी–4/सा–11/474/का.ब.नो./2018 दिनांक–23.05.2018 को जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुये निम्नवत् बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स वेव मैक्स पायरो प्रा0लि0, प्लाट सं0 ई–42/43 यूपीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई मैसर्स वेव मैक्स पायरो प्रा0लि0, प्लाट सं0 ई–42/43 यूपीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर इकाई को मिलने वाली सुविधाओं जैसे विद्युत, पानी की आपूर्ति, की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये।

(डॉ0 मो0 सिकन्दर)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल विद्युत विच्छेदन कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या/H22745 /सी–4/सा–11/बंदी ओदश/439/18 दिनांक 27-6-18

मैसर्स सोमेश्वर एलायज प्रा०लि०,
प्लाट सं० सी–52, यूपीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र,
सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर

मैसर्स सोमेश्वर एलायज प्रा०लि०, प्लाट सं० सी–52, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर द्वारा कच्चे माल के रूप में टायर एवं रबर स्कैप 16 मी.टन/दिन की दर से उपयोग कर पायरोलेसिस फ्यूल ऑयल 6.4 मी0टन/दिन तथा मुख्य उत्पाद एवं सह उत्पाद के रूप में कार्बन ब्लैक लगभग 4.8 मी.टन/दिन, स्टील वायर लगभग 2.4 मी. टन/दिन आदि का उत्पादन करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है। जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

उक्त इकाई का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बुलन्दशहर के सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक–08.06.2018 को किया गया । उद्योग में मुख्य वायु प्रदूषण श्रोत के रूप में उत्पादन प्रकिया में प्रयुक्त रियेक्टर फर्नेस है, जिसमें ईधन के रूप में लकड़ी तथा रियेक्टर फर्नेस के संचालन से जनित फिलेमेबिल गैस का उपयोग किया जाता है। उद्योग में स्थापित रियेक्टर फर्नेश में ईधन से जनित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वेट स्कबर, आईडी फैन व लगभग 60 फीट ऊंची चिमनी की व्यवस्था की गयी है। निरीक्षण के समय उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित अवस्था में नहीं पायी गयी।

उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं० 650/बीएस–124/18 दिनांक–16.05.2018 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था जिसका उत्तर उद्योग द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है। उद्योग को बोर्ड से दिनांक–31.12.2018 तक सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त की गयी थी, जिसकी अनुपालन आख्या भी उद्योग द्वारा प्रेषित नहीं की गयी है।

उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं० एच 20698/सी–4/सा–।।/439/का.ब.नो./2018 दिनांक–23.05.2018 के माध्यम से वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका उत्तर उद्योग द्वारा नहीं दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्र सं० 809/बीएस–124/18 दिनांक–11.06.2018 के माध्यम से उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के प्राविधानों के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं० एच 20698/सी–4/सा–।।/439/का.ब.नो./2018 दिनांक–23.05.2018 की पुष्टि करते हुये बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुये जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से उद्योग को पत्र सं० एच 20694/सी–4/सा–।।/474/का.ब.नो./2018 दिनांक–23.05.2018 को जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुये एवं उद्योग को जारी सहमति जल/वायु को रिवोक करते हुये निम्नवत् बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स सोमेश्वर एलायज प्रा0लि0, प्लाट सं० सी–52, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई मैसर्स सोमेश्वर एलायज प्रा0लि0, प्लाट सं0 सी–52, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर इकाई को मिलने वाली सुविधाओं जैसे विद्युत, पानी की आपूर्ति, की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये।

(डॉ0 मॉ0 सिकन्दर)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग का विद्युत विच्छेदन कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनशिचित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सन्दर्भ सं0 H29947 /सी–4/11/568/बंदी आदेश/2018 दिनांक: 19-12-18

पंजीकृत

मै0 बालाजी वॉशिंग,
प्लाट नं0–नं0–आर–50, य0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद,
जनपद बुलन्दशहर ।

मै0 बालाजी वॉशिंग, प्लाट नं0–नं0–आर–50, य0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर जो कि कच्चे माल के रूप में रॉ–जीन्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडा ऐस, कास्टिक आदि का प्रयोग कर जीन्स की वॉशिंग का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, बुलन्दशहर द्वारा दि0 05.09.2018 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा उद्योग की स्थापना एवं संचालन संबंधी राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जल एवं वायु सहमति तथा अन्य प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु उद्योग प्रतिनिधि द्वारा वांछित प्रपत्र प्रस्तुत नही किया जा सकें। उद्योग को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उद्योग की स्थापनार्थ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नही है एवं न ही उद्योग के संचालन हेतु जल एवं वायु ही प्राप्त की गयी है। उद्योग द्वारा बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करने हेतु आवेदन भी नही किया गया है। उद्योग का संचालन संचालन बन्द करने एवं राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही उत्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पत्र संख्या–1219/बीबी–67/18, दिनांक 07.09.2018 द्वारा उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यत: उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जल प्रदूषण की रोकथाम, जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जायें।

अत: सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोरान्त उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 के अन्तर्गत निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते है:–

1– यह कि उद्योग मै0 बालाजी वॉशिंग, प्लाट नं0–नं0–आर–50, य0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।

2– यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपके उद्योग मै0 बालाजी वॉशिंग, प्लाट नं0–नं0–आर–50, य0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर को मिलने वाली सुविधा जैसे कोयले की आपूर्ति, विद्युत एवं पानी की आपूर्ति आदि को निरस्त कर तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें।

18/12

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–4

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराने का कष्ट करें।

2– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 विद्युत पावर कार्पोरेशन (विद्युत वितरण खण्ड), बुलन्दशहर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

3– महाप्रबंधक, जल संस्थान, बुलन्दशहर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को दी जाने वाली जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।

18/12

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–4

टी.सी. 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सन्दर्भ सं0 /सी–4/सा–।।–512/बंदी आदेश/2018 दिनांक: 9-8-18

पंजीकृत

मै0 सादिका आयल इण्डस्ट्रीज,
गोण्डा रोड, हैवतपुर, तहसील–कोल,
जनपद–अलीगढ़।

मै0 सादिका आयल इण्डस्ट्रीज, गोण्डा रोड, हैवतपुर, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ जो कि कच्चे माल के रूप में यूज्ड लूब आयल का आयल रिफाइनिंग का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ द्वारा दि0 04.06.2018 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालन से उत्पन्न औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकृत संयंत्र/ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप स्थापित नही पाया गया, जिससे प्रतीत होता है कि इकाई से उत्पन्न औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण सीधे स्थानीय नाले में किया जाता है। निरीक्षण के समय औद्योगिक उत्प्रवाह उत्पन्न न होने के कारण नमूना एकत्रित नहीं किया जा सका।

क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 29.01.2018 एवं 27.02.2018 द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करने हेतु नोटिस प्रेषित किया जा चुका है। उद्योग द्वारा निर्गत नोटिस का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है, जो तककीनी दृष्टि से संतोषजनक नही है। निरीक्षण के समय इकाई में स्थापित डिफ्यूजिंग वेसल पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी। वेसल पर वायु अनुश्रवण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी।

उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या–1841/एन0ओ0सी0–2314/15, दिनांक 26.06.2015 द्वारा एन0ओ0सी0 निर्गत किया गया था। उद्योग की क्षेत्रीय कार्यालय से वर्ष 2018 तक सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत किया गया था, जिसे क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या–730, दिनांक 07.06.2018 द्वारा रिवोक कर दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा अपने पत्रांक–731/एएस–821/18, दि0–07.06.2018 द्वारा उद्योग के विरूद्ध जल अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु संस्तुति की गई है।

यतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जल प्रदूषण की रोकथाम, जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–33ए सपठित धारा–27(2) के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जायें।

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग मै0 सादिका आयल इण्डस्ट्रीज, गोण्डा रोड, हैवतपुर, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 के अन्तर्गत निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते है:–

1– यह कि उद्योग मै0 सादिका आयल इण्डस्ट्रीज, गोण्डा रोड, हैवतपुर, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।

2– यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपके औद्योगिक संयंत्र को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

3– पर्यावरण अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित नही करने के कारण मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0संख्या–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में दि0 13.07.2017 को पारित किये गये आदेश के अनुपालन में उद्योग पर रू0–50,000/–(रू0 पचास हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है। उक्त धनराशि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर बोर्ड में जमा कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द करायें।

2– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 विद्युत पावर कार्पोरेशन (विद्युत वितरण खण्ड), अलीगढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

3– महाप्रबंधक, जल संस्थान, अलीगढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को दी जाने वाली जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अन्दर प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी. 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सन्दर्भ सं0 H-32057 /सी–4/जल–603/बंदी आदेश/2019 पंजीकृत दिनांक: 29/1/19

मै0 प्राची इण्डस्ट्रीज,
खैरेश्वर धाम कॉलोनी, नादा पुल, खैर रोड,
अलीगढ़।

मै0 प्राची इण्डस्ट्रीज, खैरेश्वर धाम कॉलोनी, नादा पुल, खैर रोड, अलीगढ़ जो कच्चे माल के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड व नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हुए आयरन शीट के टुकड़ों से जंग छुड़ाने/धुलाई का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दि0 02.01.2019 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि मै0 प्राची इण्डस्ट्रीज, खैरेश्वर धाम कॉलोनी, नादा पुल, खैर रोड, अलीगढ़, अलीगढ महानगर की आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। इकाई द्वारा हिंज (कब्जा) पर जिंक एवं निकिल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है जिसके लिये 04 नग इलेक्ट्रोप्लेटिंग टैंक स्थापित पाये गये। उक्त प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये हुये सीधे नाले में निस्तारित किया जाता है। इकाई क सम्बन्ध में पूर्व में आई0जी0आर0एस0 संख्या 60000180111811 दिनांक 22.11.2018 के माध्यम से शिकायत भी प्राप्त हुई थी जिसके अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्रांक 1701/ओजी–15/18 दिनांक 26.11.18 द्वारा इकाई को नोटिस प्रेषित किया गया था जिसके सम्बन्ध में कोई प्रतिउत्तर इकाई द्वारा बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इकाई द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 के अन्तर्गत एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम की धारा–1981 की धारा–21 के अन्तर्गत न तो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और न ही जल एवं वायु सहमति प्राप्त की गई है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जल प्रदूषण की रोकथाम, जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–32(1सी) के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जायें।

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोरान्त उद्योग मै0 प्राची इण्डस्ट्रीज, खैरेश्वर धाम कॉलोनी, नादा पुल, खैर रोड, अलीगढ़ को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–32(1सी) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैः–

1– यह कि उद्योग मै0 प्राची इण्डस्ट्रीज, खैरेश्वर धाम कॉलोनी, नादा पुल, खैर रोड, अलीगढ़ का संचालन तत्काल बन्द कर दें।
2– यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपके औद्योगिक संयंत्र को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
3– पर्यावरण अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित नही करने के कारण मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0संख्या–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में दि0 13.07.2017 को पारित किये गये आदेश के अनुपालन में उद्योग पर रू0–50,000/–(रू0 पचास हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है। उक्त धनराशि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर बोर्ड में जमा कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–4

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल अपने स्तर से बन्द करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 विद्युत पावर कार्पोरेशन (विद्युत वितरण खण्ड), अलीगढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
3– महाप्रबंधक, जल संस्थान, अलीगढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को दी जाने वाली जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित तीन दिन के अंदर प्रेषित करें।

29/1
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–4

टी.सी. 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सन्दर्भ सं0 H24656 /सी–4/347/बंदी आदेश/2018 दिनांकः 9-8-18

पंजीकृत

मै0 श्री देवेन्द्र पुत्र श्री रोशन लाल,
निवासी–नगला रती, तहसील–सिकन्दराराऊ, हसायन,
जनपद–हाथरस।

मै0 श्री देवेन्द्र पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी–नगला रती, तहसील–सिकन्दराराऊ, हसायन, जनपद–हाथरस जो कि कच्चे माल के रूप में पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, नाइट्रिक, नाट्रिक एसिड आदि का कार्य करते हुए सोडा/साल्ट पीटर का उत्पादन करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, हाथरस द्वारा दि0 15.05.2018 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। इकाई के संबंध में अवैध रूप से संचालित इकाई की शिकायत दिनांक 15.05.2018 को तहसील दिवस में प्राप्त हुई। उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 के अन्तर्गत एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम की धारा–1981 के अन्तर्गत न तो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और न ही जल एवं वायु सहमति प्राप्त की गई है।

यतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जल प्रदूषण की रोकथाम, जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जायें।

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोरान्त उद्योग मै0 श्री देवेन्द्र पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी–नगला रती, तहसील–सिकन्दराराऊ, हसायन, जनपद–हाथरस को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैः–

1– यह कि उद्योग मै0 श्री देवेन्द्र पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी–नगला रती, तहसील–सिकन्दराराऊ, हसायन, जनपद–हाथरस का संचालन तत्काल बन्द कर दें।

2– यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपके औद्योगिक संयंत्र को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

3– पर्यावरण अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित नही करने के कारण मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0संख्या–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में दि0 13.07.2017 को पारित किये गये आदेश के अनुपालन में उद्योग पर रू0–50,000/–(रू0 पचास हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है। उक्त धनराशि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर बोर्ड में जमा कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–4

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, हाथरस को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल अपने स्तर से बन्द करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 विद्युत पावर कार्पोरेशन (विद्युत वितरण खण्ड), हाथरस को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

3– महाप्रबंधक, जल संस्थान, बुलन्दशहर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उद्योग को दी जाने वाली जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या एवं भट्ठा स्वामी के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु पूर्ण विवरण सहित स्पष्ट संस्तुति एवं आख्या तीन दिन के अंदर प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–4

टी.सी. 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या/ H22238 H/-4/HT-II/470/18

पंजीकृत
दिनांक 20-6-18

मैसर्स एम डेयरी (हरेन्द्र सिंह डेयरी),
निकट गायत्री इण्टर कॉलेज,
गढ़ी अर्निया, गोरई, तहसील–इगलास,
अलीगढ़।

मैसर्स एम डेयरी (हरेन्द्र सिंह डेयरी), निकट गायत्री इण्टर कॉलेज, गढ़ी अर्निया, गोरई, तहसील इग्लास, अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप में दूध का प्रयोग कर चिलिंग एवं मिल्क प्रोसेसिंग प्रक्रिया द्वारा लगभग 250 किग्रा0/दिन पनीर का उत्पादन करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का स्थल निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–22.03.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई कार्यरत पायी गयी। उद्योग विगत 02 वर्षों से स्थापित/संचालित है।

इकाई की उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है। बिना शुद्धिकृत किये ही उत्प्रवाह का निस्तारण किया जाता पाया गया।

उद्योग का पूर्व में निरीक्षण दिनांक–28.08.2017 को उपजिलाधिकारी, तहसील इगलास, अलीगढ़ के साथ क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया गया तथा सहमति जल/वायु प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0 842 दिनांक–29.08.2017 एवं पत्र सं0 1791 दिनांक–24.11.2017 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था जिसका कोई उत्तर उद्योग द्वारा नहीं दिया गया और न ही सहमति जल/वायु प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया।

यह कि उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत न तो स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और न ही संचालन हेतु सहमति जल एवं वायु प्राप्त की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा अपने पत्र सं0 3875/एएम–401/ 2018 दिनांक–28.03.2018 के माध्यम से इकाई के विरूद्ध बंदी आदेश जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण जल प्रदूषण को ध्यान में रखते हुये जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत निम्न बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

1. यह कि एम डेयरी (हरेन्द्र सिंह डेयरी), निकट गायत्री इण्टर कॉलेज, गढ़ी अर्निया, गोरई, तहसील इग्लास, अलीगढ़ के औद्योगिक प्रक्रिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपके उद्योग मैसर्स एम डेयरी (हरेन्द्र सिंह डेयरी), निकट गायत्री इण्टर कॉलेज, गढ़ी अर्निया, गोरई, तहसील इग्लास, अलीगढ़ को मिलने वाली सुविधाओं जैसे बिजली पानी की आपूर्ति, जिला पंजीयन आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर देवें।

(डॉ0 मो0 सिकन्दर)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल अपने स्तर से बंद कराने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, अलीगढ़ को इस आशय के साथ कि उद्योग का विद्युत विच्छेदन कराना सुनिश्चित करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H/21254 सी–4 / सा–II–424 / बन्दी / 2018

पंजीकृत दिनांक 1/6/18

मैसर्स मोहन इण्डस्ट्रीज,
सरायगढ़ी, नई आबादी, सासनी गेट,
माहेश्वरी इण्टर कॉलेज के पीछे,
जनपद–अलीगढ़।

मैसर्स मोहन इण्डस्ट्रीज, सरायगढ़ी, नई आबादी, सासनी गेट, माहेश्वरी इण्टर कॉलेज के पीछे, जनपद–अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप में जिंक स्क्रेप को मेल्ट कर जिंक इंगट का उत्पादन करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग का स्थल निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–12.12.2017 को किया गया। इकाई में जिंक स्कैप को गलाकर जिंक इंगट बनाया जाता है। इस कार्य हेतु इकाई में 02 पिट फर्नेश की स्थापना की गयी है। फर्नेश में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के दहन से जनित फ्लू गैस उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।

यह कि उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 25 / 26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत न तो स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और न ही संचालन हेतु सहमति जल एवं वायु प्राप्त की गयी है।

उद्योग द्वारा बोर्ड मुख्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच–11998 / सी–4 / सा–II / 424 / 17 दिनांक–15.11.2017 का प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बोर्ड मुख्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–15.11.2017 को अपने पत्र सं0 3872 / एएम–400 / 18 दिनांक–28.03.2018 के माध्यम से पुष्टि करते हुये बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुये जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत निम्न बंदी आदेश जारी किया जाता है :–

1. यह कि मैसर्स मोहन इण्डस्ट्रीज, सरायगढ़ी, नई आबादी, सासनी गेट, माहेश्वरी इण्टर कॉलेज के पीछे, जनपद–अलीगढ़ के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपके उद्योग मैसर्स मोहन इण्डस्ट्रीज, सरायगढ़ी, नई आबादी, सासनी गेट, माहेश्वरी इण्टर कॉलेज के पीछे, जनपद–अलीगढ़ इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति सहित अन्य सुविधाओं जैसे कोयले की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, जिला उद्योग पंजीयन की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित / बंद कर दें।

(डा0 मो0 सिकन्दर)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि संदर्भित इकाई को तत्काल प्रभाव से अपने स्तर से बंद कराने का कष्ट करें।
2. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, अलीगढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, अलीगढ़ ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या एवं फोटोग्राफ तथा पूर्ण सूचनाओं सहित अभियोजनात्मक कार्यवाही के सबंध में स्पष्ट संस्तुति प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC: 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या/ H 22412 / सी-4/सा-II/474/बन्दी/2018 दिनांक 27-6-18
पंजीकृत

मैसर्स श्री मोहम्मद इस्लाम
प्लाट सं0 आर-31, यूपीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र,
सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर

मैसर्स श्री मोहम्मद इस्लाम द्वारा प्लाट सं0 आर-31, यूपीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर द्वारा कच्चे माल के रूप में वेस्ट स्केप रबर (टायर्स) का उपयोग कर पायरोलिसिस ऑफ स्कैप.टायर प्रकिया से पायरोलिसिस, फ्यूल, कार्बन ब्लैक, स्टील वायर, पायरो गैस आदि का उत्पादन करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कंपनी है।

यह कि उक्त इकाई का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बुलन्दशहर के सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक-08.06.2018 को किया गया । निरीक्षण के समय इकाई संचालित नहीं पायी गयी, परन्तु उद्योग की अवस्था से यह परिलक्षित हो रहा था कि उद्योग का संचालन किया जा रहा है।

उद्योग में निरीक्षण के समय पायरोलिसिस प्लान्ट के हाउस कीपिंग एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी तथा उद्योग परिसर में उद्योग में प्रयुक्त कच्चे माल के रूप में पुराने टायरों का रख-रखाव संतोषजनक नहीं पाया गया तथा ब्लैक कार्बन फैला हुआ पाया गया।

पायरोलिसिस प्लांट राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित कर लिया गया है। उद्योग राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (यथासंशोधित) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत बिना वायु सहमति प्राप्त किये संचालित पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्र सं0 807/बीएम-53/18 दिनांक-11.06.2018 के माध्यम से उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के प्राविधानों के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच 20694/सी-4/सा-II/474/का.ब.नो./2018 दिनांक-23.05.2018 की पुष्टि करते हुये बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुये जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से उद्योग को पत्र सं0 एच 20694/सी-4/सा-II/474/का.ब.नो./2018 दिनांक-23.05.2018 को जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुये निम्नवत् बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मैसर्स श्री मोहम्मद इस्लाम द्वारा प्लाट सं0 आर-31, यूपीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई मैसर्स श्री मोहम्मद इस्लाम द्वारा प्लाट सं0 आर-31, यूपीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर इकाई को मिलने वाली सुविधाओं जैसे जैसे विद्युत, पानी की आपूर्ते, की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये।

(डॉ0 मो0 सिकन्दर)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग का तत्काल विद्युत विच्छेदन कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनशिचित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

o/c

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 1231746

/सी–4/सा–।।/547/बंदी आदेश/18 दिनांक 15-10-18

पंजीकृत

मैसर्स बिन्दल स्टोन इण्डस्ट्रीज,
घसकटा रोड, ब्लाक–जगनेर,
तहसील–खेरागढ़, आगरा।

मैसर्स बिन्दल स्टोन इण्डस्ट्रीज, घसकटा रोड, तॉतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा द्वारा गैंगसा इकाई (लाल पत्थर कटाने की मशीन) द्वारा लाल पत्थर की कटिंग का कार्य करते हुये उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक–20.09.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में गैंगसा इकाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित तथा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित की जा रही है। इकाई में एक सबमर्सिबल स्थापित है जिसकी अनुमति सी0जी0डब्लू0ए0 से प्राप्त नहीं की गयी है। रेड स्टोन कटिंग के दौरान प्रयुक्त जल का परिसर में स्थापित टैंक के विभिन्न चैनलों के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाता है तथा टैंक में एकत्रित स्टोन डस्ट (स्लज) को निकालकर भूमि पर एकत्र किया जाता है। तेज वायु गति के दौरान स्टोन डस्ट का हवा के साथ उड़ना स्वाभाविक है जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जनस्वास्थ्य हेतु उचित नहीं है। इकाई में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 केवीए का डीजी सेट स्थापित किया गया है जिसमें एकझास्ट पाइप मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 एफ नं0–बी–300/इम्प्लीमेन्टेशन /आइपीसी–VI/ 2017/155011 दिनांक–28.12.2017 द्वारा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों का संचालन न किये जाने के निर्देश दिये गये है।

निरीक्षण के समय इकाई मे उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा संबंधित विभागो के अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 मे वर्णित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग द्वारा बोर्ड से जारी कारण बताओ नोटिस दिनाक–28.08.2018 का प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपने पत्र सं0 960/ओजी–616/18 दिनांक–22.09.2018 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पत्र सं0 एच 25384/सी–4/सा–।।/547/का0ब0नो0/18 दिनांक–28.08.2018 की पुष्ठि करते हुये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा जल प्रदूषण नियत्रण अधिनियमों का अनुपालन न करने के कारण जन स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये राज्य बोर्ड को यह आवश्यक है कि इकाई के संचालन को रोका जाये। अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से इकाई के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि बिन्दल स्टोन इण्डस्ट्रीज, घसकटा रोड, तॉतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा के औद्योगिक प्रकिया संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आपकी इकाई बिन्दल स्टोन इण्डस्ट्रीज, घसकटा रोड, तॉतपुर, ब्लाक–जगनेर, तहसील–खेरागढ़, आगरा इकाई को मिलने वाली सुविधाओं पानी की आपूर्ति, जिला उद्योग केन्द्र की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दिया जाये ?

15/10

(डॉ0 बी0बी0 अवस्थी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को तत्काल बंद कराने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करें।
3. अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, आगरा को इस आशय के साथ कि उद्योग विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।
4. महा प्रबंधक जल संस्थान, आगरा उद्योग की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराने का कष्ट करें।

15/10

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

LALIT